न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्याः 166 / 2017

दर्ज दिनांक : 01 / 12 / 2017

निर्णय दिनांक : 13 / 03 / 2018

चतुर्भज पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासीः ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

—— प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री प्रेमचन्द शर्मा एडवोकेट

श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 उप0।

निर्णय दिनांकः 13 / 03 / 2018

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 986 रकबा 15 बिस्वा ग्राम बीची पटवार हल्का बीची भू.अभि.नि.क्षेत्र माधोराजपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है, उक्त आराजी का वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है मौके पर काबिज रहकर सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है। उक्त आराजी वादी को नामान्तकरण संख्या 259 से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुई थी। उक्त राजस्व कर्मचारियो की गलती से नामान्तकरण

में चतुर्भज पुत्र श्योनारायण की जगह बडे पिता स्व. रामचन्द्र जिसकी पगडी संस्कार भी वादी के हुई थी। चतुर्भज पुत्र रामचन्द्र के नाम उक्त नामान्तकरण दर्ज हो गया जिसके अनुसार ही संवत् 2026 से 2029 जमाबंदी में भी चतुर्भज पुत्र श्योनारायण की जगह चतुर्भज पुत्र रामचन्द्र दर्ज हो गया है जिसमें वर्तमान जमाबंदी में भी चतुर्भज पुत्र रामचन्द्र दर्ज हो गया है। वादी अनपढ किसान व्यक्ति है राजस्व रिकॉर्ड में हुई गलती का वादी को मालूम नहीं रहा क्योंकि वादी उक्त आराजी का मौके पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नहीं है लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता चतुर्भज पुत्र रामचन्द्र होने के कारण वादी को प्राप्त नहीं हो पा रही है क्योंकि वादी के संपूर्ण दस्तावेजात चतुर्भज पुत्र श्योनारायण के नाम से है इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में बल्दियत को सही करवाना आवश्यक है। वादी अनपढ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है इसलिये उसने अपने राजस्व रिकॉर्ड का कभी अवलोकन नहीं किया तथा नहीं वादी को कभी इस बात का ज्ञान रहा कि उसके राजस्व रिकॉर्ड में चतुर्भुज पुत्र श्योनारायण के स्थान पर अपने बडे पिता के नाऔलाद फौत होने पर उसकी पगडी के दस्तुर के आधार पर राजस्व कर्मचारियो ने सहवन से चतुर्भज पुत्र रामचन्द्र गलत दर्ज कर दिया जबकि वादी के पिता का नाम रामचन्द्र नहीं होकर श्योनारायण है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में भी चतुर्भज पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर सही नाम चतुर्भुज पुत्र श्योनारायण दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा फरमाई जावे कि आराजी खसरा नंबर 986 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम बीची पटवार हल्का बीची भू.अभि.नि.क्षेत्र माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम रामचन्द्र की जगह श्योनारायण अंकित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। दिनांक 20.02.2018 को प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

होकर जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 27.02.2018 को वकील वादी ने साक्ष्य में चतुर्भुज पुत्र श्योनारायण, लादू पुत्र हनुमान गुर्जर, हनुमान पुत्र नारायण जाट के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि वादी के उक्त आराजीयात चतुर्भुज पुत्र रामचन्द्र के आवंटन द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी के बडे पिता का नाम रामचन्द्र है एवं वादी के पिता का नाम श्योनारायण है। वादी की आई.डी. पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड में वादी का नाम चतुर्भुज पुत्र श्योनारायण है। वादी अपने बडे पिता चतुर्भुज पुत्र रामचन्द्र के बजाय अपने पिता का नाम चतुर्भुज पुत्र श्योनारायण करवाना चाहता है। वादी का पिता श्योनारायण जीवित है।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति आधारकार्ड, फोटोप्रति मतदाता पहचान पत्र, फोटोप्रति राशनकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार फागी, शपथ पत्र चतुर्भुज पुत्र श्योनारायण, लादू पुत्र हनुमान गुर्जर, हनुमान पुत्र नारायण जाट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम रामचन्द्र दर्ज रिकॉर्ड है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे अपने पिता का नाम रामचन्द्र के स्थान पर श्योनारायण दर्ज करवाना चाहा है।

वादी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड में वादी के पिता का नाम श्योनारायण दर्ज है।

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यो पर गौर व मनन करने एवं पत्रावली के समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मेरे द्वारा वादी वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज घतरभुज पुत्र रामचन्द्र को हजफ कर इसके स्थान पर चतुर्भुज पुत्र श्योनारायण दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 986 रकबा 15 बिस्वा ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज चतरर्भुज पुत्र रामचन्द्र को हजफ कर इसके स्थान पर चतुर्भुज पुत्र श्योनारायण दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/03/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

चतुर्भज

बनाम

तहसीलदार फागी

::– वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा::–

मुकदमा नं0 – 166/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 986 रकबा 15 बिस्वा ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज चतरर्भुज पुत्र रामचन्द्र को हजफ कर इसके स्थान पर चतुर्भुज पुत्र श्योनारायण दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निज.........—.........मुबलिग.........—.........बाबत.........—.........
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........—.........फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.........—.........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/03/2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

दस्तखत................

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला–जयपुर

ओहदा..................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर	NIL	
फीस कमीश्नर	NIL		बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी